

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।

सत्र परीक्षण संख्या-1258/2022

राज्य प्रति विजेन्द्र सिंह

मुकदमा अपराध संख्या-448/2021

धारा-307 भा०दं०सं०

थाना-जमुनापार, जिला मथुरा।

आरोप

मैं, राजीव भारती, सत्र न्यायाधीश, मथुरा, आप अभियुक्त विजेन्द्र सिंह को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

यह कि, दिनांक 25.11.2021 को, समय सायं करीब 06.30 बजे, स्थान सोनई टप्पा लक्ष्मीनगर, अंतर्गत थाना जमुनापार, जिला मथुरा में, आपने वादी पूरन सिंह के साले हरवीर को, जान से मारने की नीयत से, ऐसे ज्ञान, आशय और परिस्थितियों में, उसके पेट में तमंचे से गोली मार दी, जिससे यदि हरवीर की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

अतः एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि, उपरोक्त आरोप हेतु आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक-25.01.2023

(राजीव भारती)

सत्र न्यायाधीश, मथुरा।

आई०डी०क्रमांक-6547

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांक-25.01.2023

(राजीव भारती)

सत्र न्यायाधीश, मथुरा।

आई०डी०क्रमांक-6547

25.01.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त विजेन्द्र सिंह अपने विद्वान अधिवक्ता सहित न्यायालय में उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुये उस साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसके द्वारा आरोप को सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है, जिसका अभियुक्त की तरफ से प्रतिवाद किया गया।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आरोप विरचित करने का प्रथमदृष्टया आधार उपलब्ध है।

अतः अभियुक्त को उपरोक्तानुसार आरोपित किया गया। अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की माँग की। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 14.02.2023 को प्रस्तुत हो।

(राजीव भारती)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D. No. UP 6547